FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम जायल

हरीराम वगैरा बनाम हरजीराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा.का. 111,128 LLR वाद नं. 46/2021 सन्.......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.3.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
30/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो। [initials]	
24/06/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 01/[illegible] को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

01/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-18/11/21 को पेश हो।

18/11/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

30/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत-डोसारिया में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेढा सेढ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के सेढो के मध्य जो पुरानी मांढ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु मेखबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेखबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] पर प्रार्थी का मेखबन्दी आवेदन स्वी[illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ [illegible] निर्देश से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेखबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली नोमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1394

दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पुराराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा 4 जाति कुम्हार, निवासी खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 24 जाति कुम्हार, निवासी खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 46/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खींपर, पटवार मण्डल – खींपर , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 516, 519, 697/519, 721/576 रकबा क्रमशः 0.1133, 2.5403, 0.6553, 13.9229 हैक्टयर व मौजा– रीदूसर, पटवार मण्डल – खींपर, तहसील– बायतु के खेत खसरा नं. 08 रकबा 9.0204 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक/वाद /2021/1395–99

दिनांकः– 30/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख व समय स्वंय उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री पुराराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा 4
5. विप्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 24
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु